नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना

एक मज²ÖÛÖ †£Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ एक समृद्ध एवं विकसित राष्ट्र का आधार है। ²िना मज²ूत अर्थतंत्र के सक्षम एवं स²Ö»Ö ¸Ö•ÖÛÖ¡Ö स्थापित नही हो सकता। अत: वित्तीय हितों का संधान करना राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता है ताकि राज्य के दीर्घकालिक हितों का संवर्धन हो सके। लोक हित में ही राष्ट्र हित निहित होता है अर्थात लोक हित ही राष्ट्र का धर्म है। इसी अवधारणा ¯Ö¸¡ शासकीय कायÖ ÃÖ •Öुड़े कार्मिकों के हितों के संरक्षण हेतु ही राज्यों द्वारा अनेक योजनाएं क्रियान्वित की गयी ×•ÖÃÖ´Ö कार्मिकों के दीर्घकालिक सेवाओं के फलस्वरूप उनके सेवाकाल के उपरान्त उन्हें पेंशन सुविधा प्रदान किया जाना प्रमुख है। उक्त पेंशन सुविधा को क्रमश: व्यापक आधार देते हुए कार्मिकों की मृत्यु के उपरान्त उनके परिवार के अर्ह सदस्यों को ³ी पारिवारिक पेंशन का ला³ प्रदान किया गया। नव परि³ÖÖ×ÂÖÛÖ †¿Ö¤Ö®न पेंशन योजना के क्रियान्वयन के पूर्व केन्द्र <¾Ö ¸Ö•µÖÖ ´Ö ˆ¯Ö¸ÖŒÛÖ »ÖÖ³दायी पेंशन योजना ही प्र³ावी थी जिसमें सेवानैवृत्तिक/सेवारत मृत्यु की दशा में कार्मिकों को ¤µÖ »ÖÖ³ पूर्णत: ¯Ö×¸³ाषित एवं निर्धारित थे। किन्तु इस ला³दायी पेंशन योजना की ³ी कुछ सीमायें रहीं। इस योजना का कवरेज संगठित क्षेत्र तक सीमित रहा है और असंगठित क्षेत्र में श्रम²ल की ²हुसंख्या वृद्धावस्था में वित्तीय सहायता के †Ö¯ÖÖ“ाारिक साधनों से आच्छादित नही है। विश्व की प्रौढ़ जनसंख्या का लग³ग आठवाँ हिस्सा ³ÖÖ¸ÛÖ ´Ö ¸ÆÛÖÖ Æ… ‡ÃÖ जनसंख्या का अधिकांश किसी संगठित पेंशन योजना के अन्तर्गत शामिल नही है वरन् वे अपने अर्जनों और अपनी संतान से प्राप्त धन पर नि³Ö¸¡ ¸ÆÛÖ Æ… ³ारत में कार्यशील जनसंख्या का केवल लग³ग 12प्रतिशत हिस्सा ही सेवानिवृत्ति »ÖÖ³ा योजना से किसी रूप में आच्छादित है। उच्च प्रशासनिक लागत और आय प्राप्ति के निम्न वास्तविक दर के कारण मौजूदा प्रणाली अ²ा अवहनीय(Unsustainable) ÆÖ ¸¡ÆÖ Æ। मौजूदा पेंशन प्रणाली की †¾ÖÆ®ÖßµÖÛÖÖ पेंशन की देनदारियों के कारण सरकार और अन्य नियोक्ताओं पर पड़े वित्तीµÖ ²ÖÖ–ा में हुई अत्यधिक वृद्धि से और ²िगड़ गयी। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के सम्²न्ध में कुल पेंशन देनदारी सकल घरेलू उत्पाद के 1993-94 ´Ö 0.6 ¯Ö×ÛÖ¿ÖÛÖ (ÚÃ£Ö¸¡ ´Ö»µÖÖ ¯Ö¸) ÃÖ ²ÖœÛÖ Æ< 2002-03 ´Ö 1.66 के स¤Ö¸¡ ¯Ö¸¡ ¯ÖÆ“Ö गया। इसी अवधि में निवल कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में कुल पेंशन देनदारी 9.7¯Ö×ÛÖ¿ÖÛÖ ÃÖ ²ढ़कर 12.68 प्रतिशत हो गयी है। राज्य सरकारों के सम्²न्ध में 1995-96 ÃÖ 2000-2001 की अवधि में पेशन व्यय में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धिदर 27.1 ¯Ö×ÛÖ¿ÖÛÖ £ÖßÖ… राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में राज्यों का पेंशन व्यय 1991-92 के 5.4¯Ö×ÛÖ¿ÖÛÖ ÃÖ ²ÖœÛÖÖ Æ†Ö 2000-01 ´Ö 10प्रतिशत से अधिक हो गया।

¾ÖÂÖ 2000 ÃÖ 2007 के मध्य ³ारत में पेंशन प्रणाली में सुधार के प्रयास किये गये। पेंशन एवं पेंशन³ोगी कल्याण वि³ाग, कार्मिक पेंशन व लोकशिकायत मंत्रालय द्वारा गठिन उच्चस्तरीय विशेष–Ö ¤»Ö (H.L.E.G.) †Ö¸¡ ¾ÖÂÖ 2000-01 ´Ö सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई वृद्धावस्था सामाजिक एवं आय सुरक्षा (OASIS) परियोजना क्रमश: सरकारी कर्मचारियों और असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन सुधार की राह के दो मील के ¯ÖÛ£Ö¸¡ £ÖÖ… OASIS कमेटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट जनवरी,2000 में प्रस्तुत की। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में वि³Ö®®Ö देशों में कार्यान्वित पेंशन योजनाओं एवं सुधार कार्यक्रम का अनुशीलन एवं विशेष दल की रिपोर्टो तथा OASIS कमेटी की रिपोर्टो पर गहन विचार-×¾ÖÛ´Ö¿Ö उपरान्त निर्णय लेते हुए केन्द्र सरकार ने ×¾Ö¢ÖßµÖ ¾ÖÂÖ 2003-04 के ²Ö•Ö™ ´Ö नवपरिभाषित पेंशन योजना की सिविल सेवाओं एवं अन्य कर्मचारियों हेतु घोषणा की गयी। ³ारत सरकार ने 23अगस्त,2003 को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) की स्थापना की ताकि पेंशन निधि की स्कीमों और उससे जुड़े अथवा आनुषांगिक मामलों में अ³िदाताओं के हितों के संरक्षण हेतु पेंशन निधियों की स्थापना, विकास और विनियमन करते हुए वृद्धावस्था आय सुरक्षा को ²ढ़ावा दिया जा सके। प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और अधिक से अधिक 5 सदस्य होंगे जिनमें से कम से कमं´Ö 3 सदस्य पूर्णकालिक होंगे जिनकी नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जायेगी। पेंशन सम्बन्धी सुधारों की ओर पहले कदम के रूप में ³ारत सरकार ने सुस्पष्ट ला³ पेंशन से हटते हुए सुस्पष्ट अंशदान आधारित पेंशन को अपना लिया है और इसे 01जनवरी,2004 को अपनी नयी ³ÖÛÖÛµÖÖ(ÃÖ¿ÖÃ¡Ö ²लों को छोड़कर) ÆÛÖ ×¾Ö¢Ö ×¾Ö³ाग के नोटिफिकेशन दिनांक 22.12.2003 के द्वारा अनिवार्य बना दिया है।

†²ा तक 28 ¸Ö•µÖ/ÃÖ‘Ö ¸Ö•य सरकारों ने ³ी नये कर्मचारियों के लिए नयी पेंशन प्रणाली अधिसूचित कर दी है। 01´Ö‡,2009 से एन.¯Öß.<ÃÖ. स्वैच्छिक आधार पर प्रत्येक नागरिक को उपल²-Ö Æ… †²ा कोई ³Öß ³ारतीय नागरिक इस योजना के तहत अपना खाता खोलकर धनराशि का निवेश कर सकता है जिससे कि उसे वृद्धावस्था सुरक्षा हेतु पेंशन ÃÖ×ÆÛÖ ¯ÖµÖÖ¯ÖÛ ¸Ö×¿Ö ˆ¯Ö»Ö²-Ö ¸¡Æ… कोई ³Öß ³ारतीय नागरिक जिसकी आयु 18 ¾ÖÂÖ <¾Ö 60 वर्ष के मध्य हो, एन॰. ¯Öß.<ÃÖ. में अपना खाता खोल सकता है इसके लिए उसे PFRDA द्वारा अधिकृत संस्था Point of Presence (P.O.Ps) ¯Ö¸¡ रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस योजना के अन्तर्गत न्यूनतम अ³िदान 500/-°þ. निर्धारित है तथा एक वर्ष में न्यूनतम

6000/-ºþ. कम से कम चार अ३दान के माध्यम से जमा किया जाना है। इसके अन्तर्गत अ३दाता अपनी धनराशि का निवेश “Active Choice” †£Ö¾ÖÖ “Auto Choice” के माध्यम से PFRDA द्वारा निर्धारित 6 फण्ड मैनेजर्स के माध्यम से कर सकता है। समाज के कमजोर एवं विपन्न वर्गों की सामाजिक सुरक्षा हेतु PFRDA द्वारा एन.¯Öß.‹ÃÖ.लाइट योजना प्रारम्३ की गई है। एन.¯Öß.‹ÃÖ. के प्रसार हेतु ३ारत सरकार द्वारा स्वावलम्२न योजना वित्तीय वर्ष 2010-11 ´Ö ¯ÖÖ¸´३ की गई है। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के ऐसे नागरिक जो वर्ष 2010-11 ´Ö एन.¯Öß.‹ÃÖ.खाता खोलते हैं एवं कम से कम 1000 एवं अधिकतम वर्ष में 12000ºþ. (×™µÖ¸¡-I ‹¾Ö ×™µÖ¸¡-II मिलाकर) जमा करते हैं उसे सरकार द्वारा आगामी 3 ¾ÖÂÖÖ ´Ö 1000ºþ. प्रतिवर्ष की सहायता अंशदान के रूप में दी जायेगी।

नई पेंशन प्रणाली की मुख्य विशेषताएं और संरचना

- एन.पी.एस. संरचना पारदर्शी एवं बेव समर्थित है यह अभिदाता के एन.¯Öß.‹ÃÖ. के अन्तर्गत अपने निवेशों एवं »ÖÖ३ों का अनुश्रवण करने हेतु समृद्ध २नायी गयी और पेंशन निधि प्र२न्धन और निवेश विकल्प का चयन ३Öß †×३दाता के पास होगा। इस ढांचे में अ३Ö¤ÖÝÖÖ को †¯Öने निवेश विकल्पों के साथ पेंशन निधियों को २दलने की ३ी अनुमति दी गयी है।
- नई पेंशन प्रणाली स्पष्ट अंशदानों पर आधारित होगी। अंशदानों के संग्रहण हेतु इसमें २ैंको की शाखाओं और डाकघरों आदि के मौजूदा तंत्र का प्रयोग किया जाएगा। रोजगार और/ अथवा स्थान परिवर्तित हो जाने के ´ÖÖ´Ö»Ö ´Ö, संग्रहणों के अंतरण ि२ना किसी २ाधा के किये जाएंगे।यह निवेश विकल्पों और निधि प्र२ंधकों के ÃÖ´ÖÆü की ३ी पेशकश करेगी। यह नई पेंशन प्रणाली स्वैच्छिक होगी।
- परन्तु यह प्रणाली, केन्द्र सरकार की सेवा में आने वाले नए प्रवेशकर्त्ताओं (ÃÖ¿ÖÃ¡Ö २लों के सिवाए) के लिए अनिवार्य होगी। मासिक अंशदान वेतन और मंहगाई ३त्ते का 10 प्रतिशत होगा जो कर्मचारी द्वारा अदा किया जाएगा और केन्द्र सरकार द्वारा समतुल्य राशि दी जाएगी। तथापि, उन व्यक्तियों के सं२ंध में जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, सरकार की तरफ से कोई अंशदान नहीं होगा। अंशदान और उन पर प्रति फलों को एक अनाहरणीय पेंशन खाते ×•ÖÃÖ ×™µÖ¸¡-I कहा जायेगा, में जमा कराया जाएगा। परि३ÖÖ×ÂÖŸÖ »ÖÖ३ पेंशन और सामान्य ३विष्य निधि के मौजूदा प्रावधान केन्द्र सरकार की सेवा में आने वाले नए प्रवेशकर्त्ताओं को उपल२¬Ö नहीं होंगे।
- ^¯ÖµÖãŒŸÖ पेंशन खाते के अतिरिक्त, प्रत्येक व्यक्ति अपनी पसंद का स्वैच्छिक टियर-II आहरणीय खाता रख सकता है। सरकार इस खाते में कोई अंशदान नहीं करेगी। इन परिसंपत्तियों की प्र२Ö¬Ö-व्यवस्था उसी तरीके से होगी जैसे पेंशन की होती है। इस खाते में संग्रहणों को किसी ३Öß ÃÖ´ÖµÖ ×२ना कारण २ताए निकाला जा सकता Æü।
- व्यक्ति सामान्यतया 60 वर्ष की आयु में अथवा २ाद में इस पेंशन प्रणाली से २ाहर निकल सकता है। २ÖÖÆü¸ü निकलते समय उस व्यक्ति से अपेक्षित होगा कि वह पेंशन धन का कम से कम 40 प्रतिशत वार्षिकी की खरीद में निवेश करे। सरकारी कर्मचारियों के मामले में यह वार्षिकी सेवानिवृ×¢Ö के समय कर्मचारी को जीवनपर्यंत †Ö¸ü ^ÃÖ ¯Ö¸ü †Ö×ÁÖŸÖ ´ÖÖŸÖÖ-पिता और उसके पति/पत्नी के लिए पेंशन की व्यवस्था करेगी। वह व्यक्ति शेष पेंशन धन को एकमुश्त रूप में प्राप्त करेगा जिसका उपयोग किसी ३ी तरह से करने के लिए वह स्वतंत्र होगा। व्यक्तियों को 60 वर्ष की आयु से पहले पेंशन प्रणाली छोड़ने की छूट प्राप्त होगी। लेकिन इस मामले में अनिवार्य वार्षिकीकरण पेंशन धन का 80% होगा।
- चयन के लिए एक या अधिक केन्द्रीय अ३लेखपाल ‹•ÖÃÖß (CRA), अनेक पेंशन निधि प्र२ंधक (¯Öß‹±ú‹´Ö) होंगे जो वि३न्न श्रेणियों की स्कीमों की पेशकश करेंगे।
- ¯Ö×ÝÖ३ागी निकाय (PFM,CRA †Ö×¤ü) पिछले कार्यनिष्पादन और नियमित निवल परिसंपत्ति मूल्य (NAV) के २ÖÖरे में आसानी से सम–ी जा सकने वाली सूचना देंगे ताकि व्यक्ति अपनाई जाने वाली योजना के २ÖÖ¸ü ´Ö ÃÖÖ×¾Ö–ा निर्णय ले सके।

PFRDA ने फण्ड मैनेजर के कार्यो की निगरानी के लिए ³ारतीय न्यास अधिनियम 1982 के अन्तर्गत एक न्यास (एन.¯ÖÎ.<ÃÖ.™Ã™) का गठन किया है। NPS ™स्ट द्वारा फण्ड मैनेजर एवं नई पेंशन योजना से सम्बन्धित अन्य संस्थाओं के कार्यो का पर्यवेक्षण किया जाएगा। PFRDA द्वारा केन्द्र सरकार के नवप्रवेशकों को खाता संख्या आवंटित करने एवं कटौतियों के रखरखाव हेतु नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी ×»Ö×´Ö™›ü (NSDL) को सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेन्सी (CRA) नियुक्त करते हुए अनु²न्धित कर लिया Æî… PFRDA «ü¾ÖÖ केन्द्रीय कार्मिकों हेतु L.I.C. Pension Fund Limited, SBI Pension Funds Limited, UTI Retirement Solutions Limited को प्रतिस्पर्धात्मक ²िडिंग के माध्यम से पेंशन निधि प्र²न्धक (Fund Manager) नियुक्त करते हुए अनु²न्धित किया गया है। असंगठित क्षेत्र (ÃÖ´ÖÃÖ ³ारतीय नागरिकों के लिए) ICICI Prudential Pension Funds Management Company Limited, IDFC Pension Fund Management Company Limited, Kotak Mahindra Pension Fund Limited, Reliance Capital Pension Fund Limited, SBI Pension Funds Limited, UTI Retirement Solutions Limited को फण्ड मैनेजर नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त अ³िलेखों के रख-रखाव हेतु स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया को कस्टोडियन (Custodian) नियुक्त किया गया है। धनराशि के रख-रखाव हेतु ''²ैंक आफ इण्डिया'' को ट्रस्टी ²ैंक के रूप मे अनु²ंधित किया गया। इस प्रकार **नई पेंशन योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित संस्थाएं (Entities) होंगी-**

(क) सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेन्सी

(ख) पेंशन फ़ण्ड मैनेजर्स

(ग) ™Ã™ß ²ैंक ü

(‘Ö) एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर

(“ÖÖ) कस्टोडियन

(”ü) नोडल आफ़िसेज

(•Ö) ÃÖ²सक्राइ²ÖÃÖ

सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेन्सी का कार्यात्मक ढांच× निम्नवत होगा:-

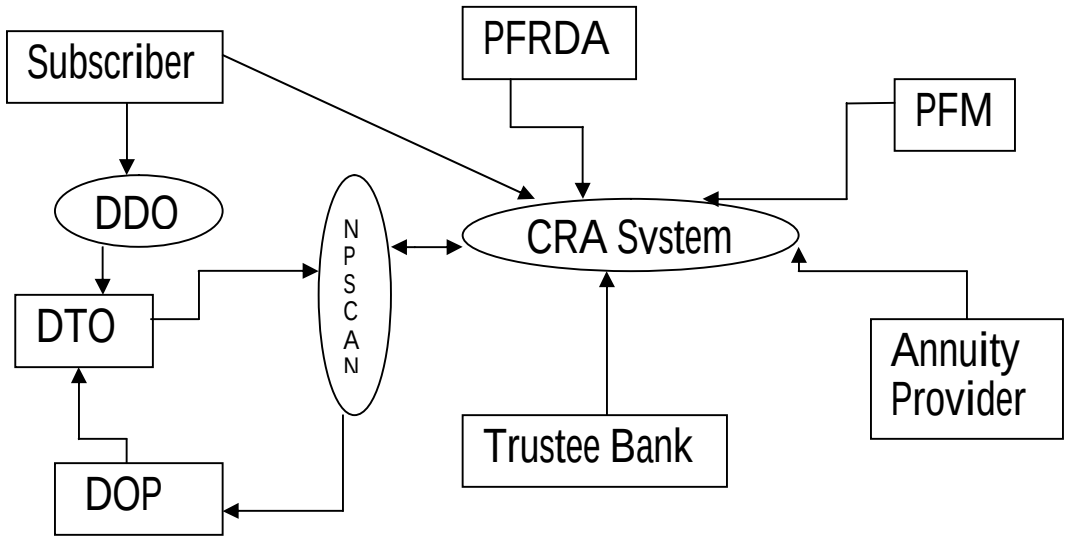

CRA का कार्य निम्नवत होगा।

(i) †×³Ö¤üÖŸÖÖ (Subscriber) ‹¾Ö कार्यदायी संस्थाओं का CRA सिस्टम में पंजीकरण करना।

(ii) †×³दाता को एकल खाता संख्या आवंटित करना।

(iii) †ंशदान का लेखाजोखा रखना।

(iv) †×³दाता को खाते के सं²न्ध में लेखा पर्ची जारी करना।

(v) †×³दाता एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं को सेवाएं प्रदान करना।

(vi) †×³दाता की समस्याओं का समाधान करना।

(viii) PFRDA को सामयिक रिपोर्ट देना।

CRA में निम्नलिखित Modules होंगे

(i) नोडल आफिस का पंजीकरण

(ii) †×³दाता का पंजीकरण

(iii) †×³दाता के खाते का रखरखाव

(iv) †×³दाता के देयों का सेटलमेन्ट

(v) †×³दाता की शिकायतों/कठिनाईयों के निस्तारण हेतु प्र²न्ध प्रणाली

(vi) †Ö‡.¾Öß.†Ö¸ü.‹ÃÖ. तथा काल सेन्टर

पेंशन निधि प्र²न्धक के कार्य-

(i) PFRDA ÃÖ ×¾Ö×³न्न योजनाओं के सं²ंध में अनुमोदन प्राप्त करना ŸÖ£ÖÖ इसका पंजीकरण CRA से कराना।

(ii) †×³दाता को पेंशन निधि योजना (PFS) के सम्²न्ध में प्रस्ताव देना।

(iii) ™Ã™ß ²ैंक को/से पेंशन निधि की धनराशि जमा/प्राप्त करना।

(iv) †×³दाता की पेंशन निधि को अ³दाता को प्रस्तावित योजना में जमा कर निधि का प्र²न्धन करना।

(v) दैनिक आधार पर नेट एसेट वैल्यू (NAV) की सूचना उपल²ध कराना।

(vi) PFRDA को प्रगति आख्या प्रेषित करना।

™Ã™ß ²ैंक के कार्य-

(i) नोडल आफिस से पेंशन निधि प्राप्त करनÖÖ…

(ii) CRA के निर्देश पर Fund Managers को /से पेंशन निधि की धनराशि जमा/¯ÖÏÖ¯ŸÖ करना।

(iii) आहरित पेंशन निधि की धनराशि को CRA के निर्देश पर एन्युटी सर्विस ¯ÖÏÖê¾ÖÖ‡›ü¸üÃÖ(ASPS) को उपल²ध करना।

(iv) †×³दाता को ³ुगतान किये जाने हेतु आहरण खाते में पेंशन निधि की धनराशि को स्थानान्तरित करना।

(v) पेंशन निधि लेखे के मिलान का विवरण दर्ज करना।

एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर के कार्य-

(i) PFRDA के अनुमोदन पर CRA में पंजीकरण।

(ii) †×³दाता की एन्युटी स्कीम प्रस्तावित करना।

(iii) ™Ã™ß ²ैंक से पेंशन निधि की धनराशि प्राप्त करना तथा अ³िदाता द्वारा चयनित एन्युटी स्कीम में निवेश करना।

(iv) एन्युटी का ³ुगतान करना (नियमित मासिक पेंशन)...

प्रदेश सरकार द्वारा नवीन पेंशन योजना का क्रियान्वयन-

उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त (सामान्य) अनु³ाग-3 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-ÃÖê-3-379/¤ÃÖ-2005-301(9)-2003 दिनांक 28´ÖÖ“Ö,2005 «Ö¸Ö राज्य सरकार ने अपने दीर्घकालीन राजकोषीय हितों और केन्द्र सरकार द्वारा अपनाई गई रीति के विस्तृत अनुसरण को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में जिनमें राज्य कर्मचारियों की वर्तमान पेंशन योजना की ³ांति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया •ÖÖŸÖÖ Æî, नये प्रवेशकों पर वर्तमान में परि³ÖÖ×ÂÖŸÖ »ÖÖ³ा पेंशन योजना के स्थान पर नवपरि³ाषित अंशदान पेंशन योजना लागू करने के निम्नलिखित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है-

(i) राज्य सरकारी सेवा में और ऊपर उल्लिखित राज्य नियंत्रणाधीन समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं/¸Ö•µÖ सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में समस्त नई ³ÖÙŸÖµÖÖ ¯Ö¸ü 01†¯ÖÏî»Ö,2005 से नई परि³ÖÖ×ÂÖŸÖ †¿ÖÓ¤üÖµÖß पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी। तथापि वर्तमान पेंशन योजना से आच्छादित ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवाएं 01†¯ÖÏî»Ö,2005 को 10वर्ष से कम की हो, ³ी वर्तमान पेंशन योजना के स्थान पर नई पेंशन योजना का विकल्प दे सकते हैं।

(ii) नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत वेतन और मंहगाई ³त्ते के 10प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का मासिक अंशदान किया जायेगा। इसी के समतुल्य सेवायोजक का अंशदान राज्य सरकार †£Ö¾ÖÖ ÃÖ´²ान्धित स्वायत्तशासी संस्था/निजी शिक्षण संस्था द्वारा किया जायेगा तथापि सम्²ान्धित Ã¾ÖÖµÖ¢Ö¿ÖÖÃÖß ÃÖÓÃ£ÖÖ†Ö/निजी शिक्षण संस्थाओं को सेवायोजक के अंशदान के लिए त²ा तक अनुदान दिया जायेगा ज²ा तक ये संस्थायें ऐसा अंशदान करने हेतु स्वयं सक्षम न हो जायें। अंशदान तथा निवेश से होने वाली आय को एक खाते में जमा किया जायेगा जो पेंशन टियर-I खाता होगा। सेवा अवधि में इस खाते में किसी ³ी आहरण की अनुमति नही दी जायेगी। नये प्रवेशकों को जो नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित होंगे परि³ÖÖ×ÂÖŸÖ »ÖÖ³ा पेंशन सह सामान्य ³विष्य निधि योजना के वर्तमान उप²ान्धों के ला³Ö नहीं प्राप्त होंगे।

(iii) चूंकि नये ³र्तीशुदा लोक सामान्य ³Ö×¾Ö†ष्य निधि में अंशदान करने में सक्षम नही होंगे †ŸÖ: वे पेंशन एक-टियर खाते के अतिरिक्त एक स्वैच्छिक दो-टियर खाता ³ी रख सकते हैं। तथापि सेवायोजक टियर-दो खाते में कोई अंशदान नहीं करेगा। दो-टियर खाते में आस्तियों का निवेश/¯Ö²ान्धन ठीक उसी प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा जो पेंशन एक टियर खाते के लिए है। तथापि कर्मचारी अपने धन के द्वितीय टियर के सम्पूर्ण अंश या उसके किसी ³ाग को किसी ³ी समय निकालने के लिए स्वतंत्र होगा।

(iv) कोई कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के समय पेंशन प्रणाली के टियर-I को समयान्तया छोड़ सकेगा। ऐसा करते समय कर्मचारी से अनिवार्य रूप से अपेक्षा की जायेगी कि वह किसी मान्यता प्राप्त ²ीमा कम्पनी से एक वार्षिकी का क्रय करे और उसमें अपनी पेंशन सम्पत्ति के 40प्रतिशत का निवेश करे जिससे वह सेवानिवृत्ति के समय अपने जीवनकाल के लिए तथा उसके आश्रित माता-पिता तथा उसके विवाहिती के लिए पेंशन की व्यवस्था कर सके। शेष पेंशन सम्पत्ति कर्मचारी द्वारा एकमुश्त रूप में प्राप्त की जायेगी जिसे वह किसी ³Öß ¸üß×ŸÖ ´Öë ˆ¯Ö³ोग करने के लिए स्वतंत्र होगा। कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति के पूर्व ही पेंशन टियर-एक को छोड़ने की दशा में अनिवार्य वार्षिकीकरण निवेश पेंशन सम्पत्ति का 80प्रतिशत होगा।

उक्त अधिसूचना दिनांक 28´ÖÖ“Ö,2005 के क्रम में दूसरी अधिसूचना संख्या-ÃÖÖ-3-469/¤ÃÖ-2005-301(9)-03 दिनांक 07†¯ÖÏî»Ö,2005 «ÖÖ¸Ö ˆ.¯Ö. ×¸™ÖµÖ¸´Öë™ ²ेनीफिट्स (संशोधन) रूल्स जारी क गयी जिसमें पूर्व में जारी उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स 1961 में नियम-2 के उप नियम(2) के पश्चात निम्नलिखित नयÖ ˆ¯Ö नियम (3) ²ना दिया गया अर्थात-“(3) यह नियमावली राज्य के कार्य-कलाप के सम्²न्ध में पेंशनी स्थापन सेवाओं और ¯Ö¤Ö ¯Ö¸ “ÖÖÆ ¾Ö †ÃÖ£ÖÖµÖß Æ Ö µÖÖ ÃÖ£ÖÖµÖß ÆÖ, दिनांक 01†¯ÖÏî»Ö,2005 को या उसके पश्चात् प्रवेश करने वाले कार्मिकों पर लागू नहीं होगी।”

इसके उपरान्त अधिसूचना सं.-ÃÖÖ-3-470/¤ÃÖ-2005-301(9)-03 दिनांक 07†¯ÖÏî»Ö,2005 «ÖÖ¸Ö सामान्य ³विष्य निधि (ˆ¢Ö¸ ¯Ö¤¿Ö)(संशोधन) नियमावली,1985 के नियम-4 में निम्नवत संशोधन किया गया-“कोई सरकारी सेवक जो दिनांक 01†¯ÖÏî»Ö,2005 को या उसके पश्चात् सेवा में प्रवेश करता है, निधि में अ³िदान नहीं करेगा।”

उपरोक्त के क्रम में राज्य सरकार के राजकीय कार्मिकों हेतु नई पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन के सम्²न्ध में अन्तरिम व्यवस्था के तहत उ.¯Ö.शासन द्वारा कार्यालय -ााप संख्या-ÃÖÖ-3-1051/¤ÃÖ-2008-301(9)-2003 दिनांक 14अगस्त,2008 निर्गत किया गया। इस कार्यालय -ााप के कतिÖµÖ ×²न्दुओं के शासनादेश संख्या-ÃÖÖ-3-1454/¤ÃÖ-2008-301(9)2003 दिनांक 28नवम्²Ö¸,2008 द्वारा कÖ¯ÖµÖ संशोधन किये गये। उक्त कार्यालय -ााप दिनांक 14अगस्त,2008 «ÖÖ¸Ö नवीन पेंशन योजना के टियर-I खाते के लिए ¸Ö्ज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन से मासिक कटौती, राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला नियोक्ता अंशदान तथा कार्मिकों के पेंशन लेखे में संचित धनराशि पर समान्य भविष्य निधि पर लागू ²µÖÖ•Ö ¤¸ ÃÖ ²याज के ³ुगतान तथा कार्मिकों का पेंशन खाता खोलने एवं उसे अद्यावधिक रखने हेतु निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश को अधिकृत किया गया था।

शासनादेशानुसार नवपरि³ाषित अंशदान पेंशन योजना के लिए वेतन से कटौती कार्मिक द्वारा जिस माह में कार्य³ार ग्रहण किया जाये, उसके अगले माह के देय वेतन से प्रारम्³ होगी। इसके समतुल्य धनराशि का अंशदान राज्य सरकार/नियोक्ता द्वारा जमा किया जायेगा। ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ कार्मिकों के वेतन ×²Ö»Ö, अन्य कार्मिकों के वेतन ×²Ö»Ö ÃÖ अलग तैयार किये जायेंगे। आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा वेतन ²िल के साथ पेंशन योजना के लिए आहरण की कटौती का निर्धारित प्रारूप (दिनांक 14अगस्त,2008 के कार्यालय -ााप के अनुलग्नक-2 (क) ¯Ö¸ ¿Ö›ËµÖæ»Ö •ÖÖ µÖÖ£ÖÖÃÖÖ³ाव अलग रंग का होगा, दो प्रतियों में संलग्न किया जायेगा। इस शेड्यूल (अनुलग्नक-2 (क) ¯Ö¸ ×•ÖÃÖ लेखाशीर्षक से वेतन का आहरण हो रहा Æ ˆÃÖ ³ी पूर्ण 15डिजिट में अंकित किया जायेगा। शेड्यूल में नयी पेंशन योजना से आच्छादित अधिष्ठान के स³ी कार्मिकों के सम्²न्ध में प्रविष्टियाँ की जायेंगी ³ले ही किसी का वेतन किसी कारण आहरित नहीं किया जा रहा हो। वेतन बिल से पेंशन के अंशदान हे की गयी कटौती की धनराशि लोक-लेखा पक्ष में लेखाशीर्षक 8342-अन्य जमा-117-सरकारी कार्मिकों के लिए निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम-01 ¸Ö•µÖ कार्मिकों के लिए निर्धारित अंशदान पेंशन योजना-01-राजकीय कार्मिकों का अंशदान टियर-1 में अन्तरण द्वारा जमा की जायेगी। कार्यालय -ÖÖ¯Ö दिनांक 14अगस्त,2008 में उल्लिखित अनुलग्नक-2(ख) को ²ाउचर के रूप में प्रयोग किसा जायेगा तथा इस पर अनुदान संख्या-62 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2071-01-117-03-01-20 अंकित किया जायेगा। यह प्रत्येक कार्मिक के लिए राज्य सरकार के अंशदान के रुप में स्थानान्तरित की जाने वाली धनराशि के लिए ²ÖÖˆ“ार के रूप में प्रयोग किया जाना है। दोनों अनुलग्नक क्रमश: 2(क) †Ö¸ 2(ख) की दो-¤Ö

प्रतियाँ वेतन ि²ल के साथ संलग्न की जायेंगी तथा शेडयूल एवं ²ाउचर पर आहरण वितरण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य है। यदि किसी कार्मिक से किसी माह में पेंशन के लिए अंशदान की कटौती नहीं की जाती है तो आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कटौती के शेडयूल में अंशदान की कटौती शून्य दर्शाते हुए उसके स्पष्ट कारणों का निश्चित रूप से उल्लेख किया जाना है।

^ŒŸÖ ¿Ö>µÖ»Ö (अनुलग्नक-2(क) की कार्मिकवार प्रविष्टि कोषागार स्तर पर लेखाशीर्षक 8342-00-117-01-01 के टियर-1 खाते में कटौती स्वरूप जमा धनराशि के रूप में की जानी है। कोषागारों द्वारा निदेशक, पेंशन, ^¢Ö¸ ¯Ö¤ü¿Ö, लखनऊ को शासनादेश दिनांक 14अगस्त,2008 के (अनुलग्नक-2(क) जो कि कार्मिक के अंशदान के ÃÖ´²न्ध में शेडयूल है तथा अनुलग्नक-2 ा जो कि सेवायोजक के अंशदान के सम्²न्ध में ²ÖÖ^“Ö¸ Æ, की हार्ड कापियों के साथ साफ्ट कापी ³Öß ^¯Ö»Ö²ध करायी जानी है।

नवपरि³ाषित अंशदायी पेंशन योजना के कार्मिक के अंशदान के समतुल्य राज्य सरकार का अंशदान (<ÃÖß ²ाह्य सेवावधि के लिए ³ी जिसके सम्²न्ध में शासनादेश दिनांक 09नवम्²Ö¸,2006 के अनुसार ²ाह्य सेवायोजक द्वारा पेंशनरी अंशदान देय नही है) लेखाशीर्षक 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ-01-×ÃÖ×¾Ö»Ö-117-निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम के लिए सरकारी अंशदान-03 राज्य सरकार का अंशदान-01-राजकीय कर्मÖ“ÖÖ¸ß-×™µÖ¸-I-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता, को डेि²ट कर ²ुक ट्रांसफर द्वारा लेखा शीर्षक-8342-अन्य •Ö´ÖÖ-117-सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम-01-राज्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान पेंशन योजना-02-राज्य सरकार/नियोक्ता का अंशदान-×™µÖ¸-I में जमा किया जाना है।

प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिकों के पेंशनरी अंशदान की धनराशि ²ाह्य सेवायोजक द्वारा कर्मचारी के वेतन से पेंशनरी अंशदान की कटौती करते हुए तथा यदि ²ाह्य सेवायोजक द्वारा शासनादेश दिनांक 9.11.2006 के अन्तर्गत ²ाह्य सेवायोजक का अंशदान ³ी दिया जाना है तो ²ाह्य सेवायोजक के अंशदान की धनराशि का ²ैंक ड्राफ्ट ³Öß तैयार कर शेड्यूल 2-क एवं 2-ख के साथ प्रत्येक माह की 10तारीख तक निदेशक, पेंशन, ^¢Ö¸ ¯Ö¤ü¿Ö, लखनऊ को प्रेषित किया जाना है। कार्मिक का अंशदान जिस माह के वेतन से काटा गया ÆÖ, उसके अगले माह की पहली तारीख को जमा हुआ माना जायेगा। इसी प्रकार राज्य सरकार का मासिक अंशदान सामान्यतया जिस माह के लिए कार्मिक का अंशदान काटा गया हो, के अगले माह की पहली तारीख को जमा हुआ मान लिया जायेगा, ³Ö»Öê Æß वास्तव में किसी अन्य दिनांक को जमा किया गया हो...

स्थानान्तरण के समय अन्तिम वेतन प्रमाणक(LPC) में अंशदान की कटौती का उल्लेख- स्थानान्तरण की दशा में अन्तिम वेतन प्रमाणक(LPC) ´Ö इस स्थिति का उल्लेख किया जाना है कि किस माह तक अंशदान काटा गया है। यदि किसी माह/अवधि के अंशदान की कटौती अवशेष है तो उसे अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र पर अलग टिप्पणी के रूप में दर्शाया जायेगा। उक्त अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र की एक प्रति आहरण वितरण अधिकारी द्वारा निदेशक, पेंशन, ^.¯Ö. लखनऊ को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जानी होगी। निदेशक, पेंशन, ^.¯Ö. द्वारा कार्मिक की नयी तैनाती के जनपद के कोषागार से उक्त कार्मिक के अंशदान की कटौती किये जाने के सम्²न्ध में निर्देश जारी किये जायेंगे।

उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में पेंशन निदेशालय स्तर से कुल 64,000 कार्मिकों को इण्डेक्स नम्²Ö¸ (DCI) जारी किये गये। निदेशालय द्वारा जारी इण्डेक्स नम्²र के आधार पर इन कार्मिकों के वेतन से पेंशन अंशदान एवं

राज्य सरकार द्वारा देय समतुल्य अंशदान की कटौतियां कोषागार के माध्यम से की गई जिसका कम्प्यूटरीकृत लेखा जोखा पेंशन निदेशालय स्तर पर रखा गया। पेशन निदेशालय स्तर से कार्मिकों के वित्तीय वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 की लेखापर्ची निर्गत की जा चुकी है।

पुनः उत्तर प्रदेश शासन वित्त((सामान्य) अनु³ाग-3 के शासनादेश संख्या-Ã¨Ö-3-313/¤ÃÖ-2009-301(9)-2003 15´Ö‡,2009 के कार्यालय –Ö¯Ö «ÖÖ¸Ö ³ारत सरकार द्वारा PFRDA के माध्यम से नियुक्त अंशदायी पेंशन योजना के कार्यान्वयन हेतु एन.<ÃÖ.>ß.एल को CRA, ²ैंक आफ इण्डिया को ट्रस्टी ²ैंक तथा SBI, UTI, LIC निधि ¯Ö²न्धक (Fund Managers) को नियुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

पुनश्च वित्त(सामान्य) अनु³ाग-3 के शासनादेश संख्या-Ã¨Ö-3-1124/¤ÃÖ-2010-301(9)/2003™ß.ÃÖß. दिनांक 15×ÃÖÖŸÖ´²Ö¸ü,2010 द्वारा अधिसूचना दिनांक 28´ÖÖ“Ö,2005 के क्रम में शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में जिनमें दिनांक 01†¯ÖÏ»Ö,2005 से पूर्व तत्समय राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना की ³ांति पेंशन योजना लागू थी और जिनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है में केन्द्रीय लेखा अनुरक्षक एजेंसी एवं पेंशन निधि प्र²न्धकों की नियुक्ति होने तक अन्तरिम व्यवस्था के रूप में नवीन पेंशन योजना के क्रियान्वयन हेतु निदेशक पेंशन को अधिकृत किया गया। ‡सी प्रकार शासनादेश संख्या-Ã¨Ö-3-1558/¤ÃÖ-2010-301(9)/2003 ™ß.ÃÖß. दिनांक 13†Œ™²Ö¸ü,2010 «ÖÖ¸Ö शासन के नियंत्रणाधीन Ã¾ÖÖµÖ¢Ö¿ÖÖÃÖß ÃÖÓÃ£ÖÖ†Ö, जिनमें दिनांक 01†¯ÖÏ»Ö,2005 के पूर्व तत्समय राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना की ³ाँति पेंशन योजना लागू थी और जिनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया •ÖÖŸÖÖ Æ, में दिनांक 01†¯ÖÏ»Ö,2005 को अथवा उसके ²ाद आने वाले स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों पर नव परि³ाषित अंशदान पेंशन योजना लागू की गयी जिसके क्रियान्वयन हेतु अन्तरिम व्यवस्था के रूप ´Ö निदेशक, पेंशन को अधिकृत किया गया।

अखिल ³ारतीय सेवा के अधिकारियों के नवीन पेंशन योजना के लेखों का रखरखाव ³ी राज्य सरकार के कर्मचारियों की ³ाँति ही पेंशन निदेशालय स्तर पर अन्तरिम रूप से रखा जा रहा है।

नई पेंशन योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा एन.<ÃÖ.>ß.<»Ö. एवं एन.¯Öß.<ÃÖ. ट्रस्ट के साथ दिनांक 12 अगस्त, 2011 को अनु²न्ध निष्पादित कर लिया गया। उक्त संस्थाओं के साथ अनु²न्ध निष्पादित हो जाने के उपरान्त उपरोक्त वर्णित अन्तरिम व्यवस्था समाप्त करते हुए एन.¯Öß.<ÃÖ.आर्कीट्रेक्चर के अनुसार व्यवस्था तत्काल प्र³ÖÖ¾Ö से करते हुए शासनादेश संख्या-Ã¨Ö-3-1065/¤ÃÖ-301(9)/2011 दिनांक15 ×ÃÖतम्बर,2011,शासनादेश संख्या-Ã¨Ö-3-1066/¤ÃÖ-2011/301(9)/2011 दिनांक 15×ÃÖŸÖ´²Ö¸ü, 2011, शासनादेश संख्या-Ã¨Ö-3-1067/¤ÃÖ-2011/301(9)/2011 दिनांक 15×ÃÖŸÖ´²Ö¸ü, 2011 निर्गत किये गये। नई पेंशन योजना के क्रियान्वयन हेतु निदेशक पेंशन को नोडल अधिकारी नामित किया गया Æ…

शासनादेश संख्या-Ã¨Ö-3-1065/¤ÃÖ-301(9)/2011 दिनांक 15×ÃÖŸÖ´²Ö¸ü,2011 के द्वारा सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में एन.<ÃÖ.>ß.<»Ö. द्वारा राज्य सरकार को प्रदान की जाने वाली सेवाओं, अनु²न्ध के अनुसार एन.<ÃÖ.>ß.<»Ö. द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं हेतु राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली फीस के ³ुगतान की शर्तो एवं एन.एस.डी.एल.द्वारा त्रैमासिक आधार पर प्रस्तुत ²िल का पेंशन निदेशालय स्तर से ³ुगतान किये जाने का उल्लेख किया गया है। एन.<ÃÖ.>ß.<»Ö. को दी जाने वाली फीस /सेवा शुल्क के ³ुगतान की दरें PFRDA द्वारा समय-ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü पुनरीक्षित की जायेंगी। अक्टू²Ö¸ü,01,2011 से PFRDA द्वारा एन.<ÃÖ.>ß.<»Ö. को ³ुगतान की जाने वाली दरें निम्नवत निर्धारित की गयी हैं:-

1- PRAN खोलने हेतु शुल्क- 50¹Ö.¯Öá×ÖÃ…

2- PRA के रखरखाव हेतु प्रति खाता वार्षिक शुल्क-225¹Ö.

3- प्रति ट्रांक्जशन शुल्क-5¹Ö.

शासनादेश संख्या-Ã×Ö-3-1066/¤Ã×Ö-2011/301(9)/2011 दिनांक 15×ÃÖÖ´²Ö¸ü,2011 ú «Ö¸üÖ ¸üÖ•µÖ सरकार की सेवा में तैनात नव परि³ाषित अंशदान पेंशन योजना से आच्छादित अखिल ³ारतीय सेवाओं के अधिकारियों के सी.†Ö¸ü.<. सिस्टम में पंजीकरण तथा पेंशन अंशदान के सम्प्रेषण की प्रक्रिया निर्धारित है।

शासनादेश संख्या-Ã×Ö-3-1067/¤Ã×Ö-2011/301(9)/2011 दिनांक 15×ÃÖÖ´²Ö¸ü,2011राज्य सरकार के कर्मचारियों के सम्²न्ध में नई परि³ाषित अंशदान पेंशन योजना के क्रियान्वयन सम्²न्धी है। नई पेंशन योजना को क्रियाशील किये जाने हेतु निदेशक, पेंशन को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। नई पेंशन प्रणाली के अनुश्रवण हेतु निदेशक, पेंशन का एन.<ÃÖ.>ß.<»Ö. में पंजीकरण, दैनन्दिन कार्यवाहियों के निष्पादन हेतु कोषागारों का एन.<ÃÖ.>ß.<»Ö.´Ö पंजीकरण, †×³Ö¤ÖÖÝÖ†Ö ÃÖ Ã´²न्धित विवरण संकलित करने एवं प्रेषण हेतु आहरण वितरण अधिकारियों का एन.<ÃÖ.>ß.<»Ö. में पंजीकरण एवं नवीन पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों का प्रपत्र S-1 में आवेदन ³रकर एन.<ÃÖ.>ß.<»Ö. में पंजीकरण कराया जाना है। एन.<ÃÖ.>ß.<»Ö.द्वारा कर्मचारियों को परमानेंट रिटायरमेंट एकाउण्ट नम्²Ö¸ü(PRAN) आवंटित किया जायेगा। †×³दाता एवं नियोक्ता अंशदान को CRA सिस्टम में अपलोड करने हेतु प्रथम चरण में अर्धकेन्द्रीयकृत माडल राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक कोषागार द्वारा †×³दाताओं के वेतन से की जाने वाली मासिक अंशदान कटौतियों की अ×³दाता अंशदान फाइल(SCF) ±úÖ‡»Ö ÝÖµÖÖ¸ü कर केन्द्रीय न्यू पेंशन सिस्टम कन्ट्री²यूशन अकाउण्टिंग नेटवर्क (एन.¯Öß.<ÃÖ.ÃÖß.<.एन.) प्रणाली में अपलोड की जायेगी। †×³Ö¤ÖÖÝÖ†Ö अंशदान फाइल अपलोड हो जाने के उपरान्त कोषागारों से प्राप्त सूचना से मिलान के उपरान्त अ×³Ö¤ÖÖÝÖ एवं नियोक्ता अंशदान की समेकित धनराशि निदेशक, पेंशन द्वारा ट्रस्टी ²ैंक-²ैंक आफ इण्डिया को एन.¯Öß.<ÃÖ. ™Ã™ एकाउण्ट के पक्ष में ²ैंक ड्राफ्ट/†Ö¸ü.™ß.•Öß.<ÃÖ./एन.‡.<±ú.™ß. द्वारा अन्तरित की जायेगी। एन.¯Öß.<ÃÖ.ÃÖß.<.एन.प्रणाली में नियमित अपलोड तथा निधियों का अन्तरण प्रारम्³ होने के उपरान्त निदेशक, पेंशन द्वारा पूर्व में की कई कटौतियों तथा नियोक्ता अंशदान की संहत धनराशि ट्रस्टी ²ैंक को एकमुश्त अथवा किश्तों में अन्तरित की जायेगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए PFRDA द्वारा नियुक्त तीन पेंशन निधि प्र²न्धकों ³ÖÖ¸üÖßµÖ Ã™™ ²ैंक, µÖ.™ß.†Ö‡. ÝÖ£ÖÖ <»Ö.†Ö‡.ÃÖß.के मध्य 01•Ö»ÖÖ‡2011 से पेंशन निधियों का आवंटन क्रमशः 31¯Öá×ÖÖ¿ÖÖ, 35.5¯Öá×ÖÖ¿ÖÖ ÝÖ£ÖÖ 33.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा ³ी पेंशन निधियों का आवंटन उपर्युक्त अनुपात में ही किये जाने का निर्णय लिया गया है। ³Ö×¾ÖÂµÖ में PFRDA द्वारा इस अनुपात में परिवर्तन किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा ³Öß ^ÃÖß अनुपात में अंगीकृत किया जायेगा।

नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों के वेतन आहरण के सम्²न्ध में वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो 14अगस्त,2008 <¾Ö µÖ£ÖÖÃÖ¿ÖÖ×-ÖÝÖ 28नवम्²Ö¸ü,2008 द्वारा निर्धारित की गई है परन्तु इण्डेक्स नम्²र के स्थान पर अ²Ö एन.<ÃÖ.>ß.<»Ö.द्वारा आवंटित PRAN का उल्लेख देयक में किया जायेगा। किसी कर्मचारी को आवंटित PRAN उसकी सेवापर्यन्त अपरिवर्तनीय होगा। स्थानान्तरण की दशा में कर्मचारी के अन्तिम वेतन प्रमाणक में उसके PRAN तथा अन्तिम अंशदान की तिथि एवं धनराशि का उल्लेख किया जायेगा।

एन.पी.एस.संरचना में सूचना एवं धनराशि का सम्प्रेषण निम्नवत होगा:-

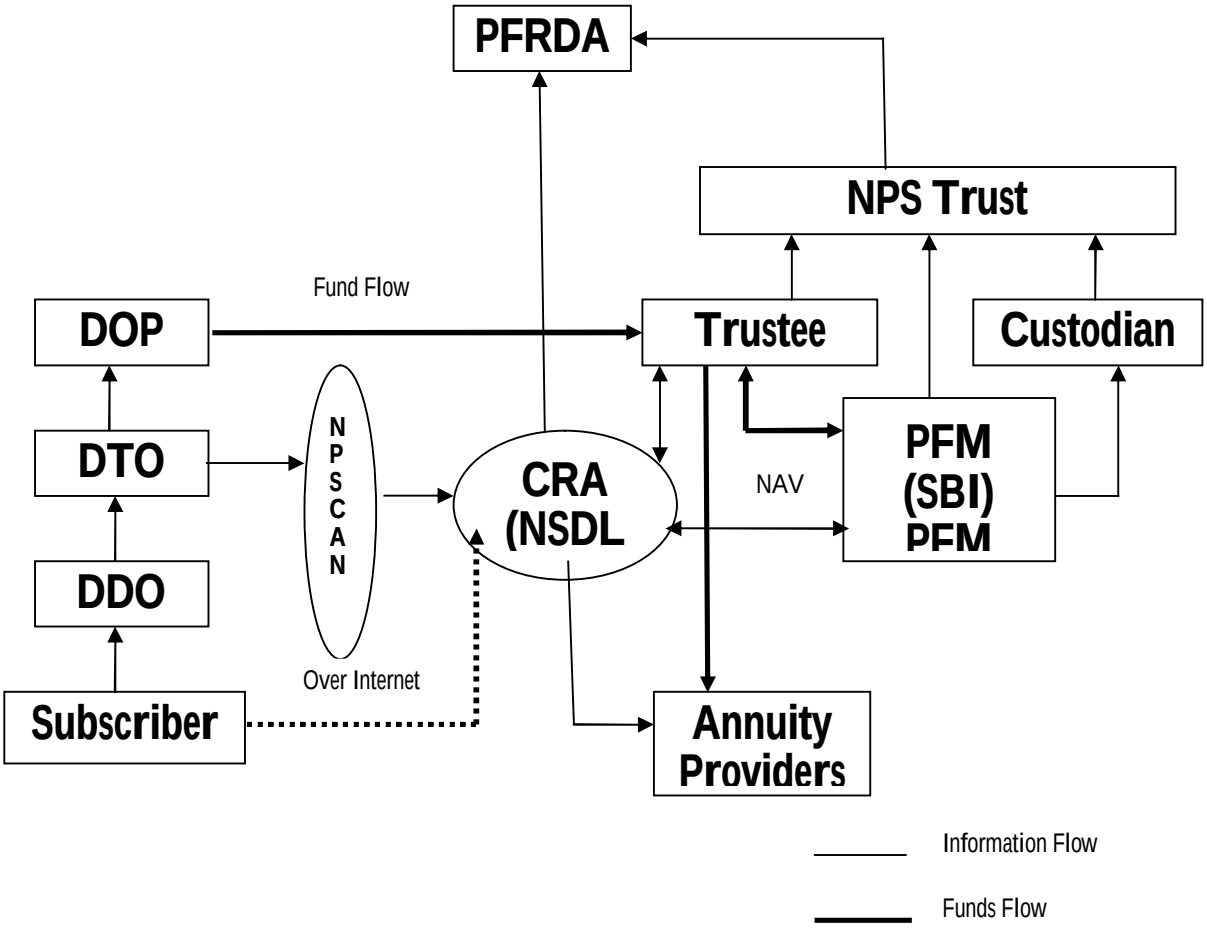

शासनादेश संख्या-Ãöü-3-1718/¤Ãü-2011 दिनांक 20×¤Ãü´²ü¸¸¡,2011 द्वारा नवीन पेंशन योजना के टियर-II खाते के क्रियान्वयन के सं²ü¬ü ´ü ×¤¿öü-निर्देश दिये गये Æ… ×™µü¸¡-II खाता वैकल्पिक होगा तथा इसमें कर्मचारी स्वेच्छा से अंशदान कर सकेगा और आवश्यकतानुसार इस खाते से धन का निष्कासन ³ी कर सकेगा। इस खाते में सरकार/नियüŒŸöü «ü¸ü अंशदान नही किया जायेगा तथा खाते में जमा राशि का निवेश पेंशन के प्रयोजनार्थ नही किया जायेगा। टियर-II खाता एन.<Ãü.>ß.<»ü. के स्थानीय अ³िकर्ता जिन्हें Point of Presence (POP) कहा गया है में खाता खोला जाना होगा तथा इस खाते में कर्मचारियों द्वारा स्वयं धनराशि जमा कराई जानी होगी। टियर-II खाते में धनराशि जमा कराये हेतु कोई सीमा नही तय की गई है।

शासनादेश संख्या-Ãöü-3-1671/¤Ãü-2010/301(9)/2003™ßÃüß दिनांक 16×ÃüŸü´²ü¸¡,2010 «ü¸ü <Ãü Ãü³ी कर्मचारियों जिन्होनें राज्य सरकार की अथवा शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं जिनमें राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना की ³ाँति पेंशन योजना लागू थी और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, की पेंशनयुक्त सेवा में दिनांक 01†¯ü»ü,2005 के पूर्व योगदान किया था तथा दिनांक 01†¯ü»ü,2005 अथवा उसके पश्चात अपनी कार्यसेवा से मुक्त होकर अथवा तकनीकी त्यागपत्र देकर राज्य सरकार की अथवा नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी अथवा शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में नियुक्त होते हैं Ÿöü वे उसी पेंशन योजना से आच्छादित माने जायेंगे जिस पेंशन योजना से वे दिनांक 01†¯ü»ü,2005 के पूर्व आच्छादित थे। पुन: इस सुविधा को विस्तारित करते हुए शासनादेश संख्या-Ãöü-3-1118/¤Ãü-2011/301(9)/2009टीसी दिनांक 16×ÃüŸü´²ü¸¡,2011 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि केन्द्र सरकार अथवा ऐसी राज्य सरकारों जिनके कर्मचारियों की पेंशन

हेतु अर्हकारी सेवाएं सेवानिवृत्तिक ला3ों हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन की गई अर्हकारी सेवाओं के साथ जोड़े जाने का पारस्परिक सम–ौता है के ऐसे कर्मचारी जो केन्द्र सरकार/Ã02ंधित राज्य सरकार के अधीन पुरानी पेंशन योजना से †0“”0x¤Ÿ0 £0, तथा उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन किसी पेंशनयुक्त अधिष्ठान में दिनांक 01.04.05 को अथवा उसके पश्चात नियुक्त होते हैं तो वह 01.04.05 के पूर्व प्र3ावी पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित माने जायेंगे।

¿00Ã0नादेश संख्या-Ã00-3-1613/¤Ã0-2011-301(9)/2011 दिनांक 5x¤Ã0´20¸¡,2011 के अनुसार केन्द्र सरकार के कार्यालय –ाप संख्या-38/41/061¯0ß.एण्ड पी.›20».(‹) दिनांक 05´0‡,2009 द्वारा केन्द्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जो नई पेंशन योजना से आच्छादित हैं, की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाने, उनके विकलांग हो जाने अथवा “00™/ विकलांगता के कारण सेवानिवृत्त हो जाने की दशा मे अनुमन्य सेवानिवृत्तिक ला3ों के अनुरूप, अग्रेतर आदेशों तक राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारी जो दिनांक 01†¯0»0,2005 से लागू नई पेंशन योजना से आच्छादित हैं को/उनके आश्रितों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं सेवानिवृत्ति उपादान अथवा मृत्यु उपादान राज्य सरकार के वर्तमान नियमों के अनुसार अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रगति

उपरोक्त शासनादेश के क्रम में नोडल अधिकारी के रूप में निदेशक, पेंशन (DOP) का एन.‹Ã0.›ß.‹»0. ´0 पंजीकरण कराया जा चुका है। समस्त 79 कोषागारों का पंजीकरण 3ी कराया जा चुका है। दिनांक 20.1.2012 तक प्रदेश के कुल 4,909 आहरण वितरण अधिकारियों का 3ी पंजीकरण एन.‹Ã0.›ß.‹»0.में हो चुका है। कोषागारों के ´00–µ0´0 Ã0 †x3दाताओं के पंजीकरण कराने की कार्यवाही गतिशील है। कोषागारों द्वारा वर्तमान समय में पेंशन निदेशालय द्वारा आवंटित इण्डेक्स नम्2र के आधार पर नई परि3ाषित पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के देयक पारित किये जा रहे हैं। इस सन्द3 में राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि अप्रैल,2012 से PRAN के आधार पर वेतन से कटौतियाँ ¯00¸´3ा कर दी जांय।

नवीन पेंशन प्रणाली की ऐसी रूपरेखा 2नाई गई है ताकि अ3ंदाता अपने 3विष्य के 200¸¡ ´0 †30ßÂ™ निर्णय ले सकें और वह अपने रोजगार शुरू करने के दिन से ही प्रणालीगत 2चतों के माध्यम से वृद्धावस्था में 3रण-पोषण की व्यवस्था करने में सक्षम हो सकें। इसमें प्रयास किया गया है कि नागरिक सेवानिवत्ति के लिए 2चत करने की आदत बनाएं। नवीन पेंशन योजना अभी शैश¾00¾0Ã£00 ´0 Æ… योजना के क्रियान्वयन हेतु पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) «0¸0 †2ा तक योजना के क्रियान्वयन एवं प्रगति मे प्राप्त अनु3वों के आधार पर दिशानिर्देश निर्गत किये जा रहे हैं। एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर (ASP) की नियुक्ति अ3ी की जानी है। नवीन पेंशन योजना 2ाजार आधारित योजना है जिसका प्रतिफल 2ाजार की अनिश्चितताओं से जुड़ा है। अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करने हेतु धनराशि का सुविचारित निवेश करना आवश्यक है। PFRDA †x30दाताओं के हितों की रक्षा करने के अपनी कार्ययोजना के अन्तर्गत वित्तीय शिक्षा एवं जागरूकता हेतु 3ी सतत प्रयत्नशील है।

नई पेंशन योजना/प्रणाली में प्रयुक्त विशिष्ट श2¤0¾0»0ß -

AIS	All India Services (अखिल 300¸Ÿ0ßµ0 Ã0¾00‹)ú
BOI	Bank of India (Trustee Bank)ú
CRA	Central Rccord-Keeping Agency (केन्द्रीय अ3िलेखपाल/लेखा अनुरक्षक)ú
DDO	Drawing & Disbursing Officer (आहरण वितरण अधिकारी)

DOP	Director of Pension (निदेशक, पेंशन, ^.¯0.)
DTO	District Treasury Officer (मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी)
I-PIN	Internet-Personal Identification Number
IVRS	Interactive Voice Response system
LIC	Life Insurance Corporation of India (³ारतीय जीवन ²ीमा निगम)
LPC	Last pay Certificate (अन्तिम वेतन प्रमाणक)
NAV	Net Aseet Value
NEFT	National Electronic Fund Transfer
NPS	New Pension Scheme/System (नई पेंशन योजना/प्रणाली)
NPSCAN	New Pension System/Contributions Accounting Network
NSDL	National Securities Depository Limited (CRA)
PFM	Pension Fund Manager (पेंशन निधि प्र²न्धक)
PFRDA	पेंशन निधि नियामक तथा विकास प्राधिकरण
PRAN	Permanent Reritement Account Number (स्थायी सेवानिवृत्ति लेखा संख्या)
RTGS	Real Time Gross Settlement
SBI	State Bank of India
SCF	Subscriber Contribution File (अभिदाता अंशदान फाइल)
T-PIN	Telefonic-Personal Identification Number
UTI	unit Trust of India (भारतीय यूनिट ट्रस्ट)

सन्दर्³ित संस्थाओं के क्रियाकलापों एवं शासनादेशों के सन्द³र् हेतु प्रमुख संस्थाओं की ²वसाइट निम्नवत है जिस पर विस्तृत विवरण एवं प्रपत्र देखा जा सकता है-

PFRDA- www.pfrda.org.in

CRA- www.npscra.nsdl.co.in

Pension Directorate- www.pensiondirectorate.up.nic.in

Disclaimer:-

यह लेख उ.¯0. सरकार के कार्मिकों के मात्र मार्गदर्शन हेतु है। नियमों/¾µ0¾0Ã£00†0/प्रक्रियाओं आदि की विस्तृत जानकारी हेतु सन्दर्³ित अधिसूचनाओं एवं शासनादेशों के साथ-Ã00£0 ×¾0¢0 ×¾0³ाग, ^.¯0. शासन द्वारा समय-Ã0´0µ0 पर निर्गत शासनादेश/¯0×¸¯0¡0/स्पष्टीकरण आदि का अध्ययन अपेक्षित Æ...